



सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष न०- 0135-2675780, फैक्स न०- 0135-2675779

ईमेल : secy-uic@gov.in वेब: <http://uk.uic.gov.in>

पत्रांक 6716

/उ०सू०आ०/2023-24

दिनांक 19 सितम्बर, 2023

कार्यालय आदेश


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों के मध्य पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 9328/उ०सू०आ०/2022-23 दिनांक 04.01.2023, कार्यालय आदेश संख्या 11229/उ०सू०आ०/2022-23 दिनांक 16.02.2023 एवं कार्यालय आदेश संख्या 4580/उ०सू०आ०/2023-24 दिनांक 31.07.2023 के द्वारा किये गये कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न विभाग और उनसे सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण उनके सम्मुख कालम 03 में अंकित पीठ के द्वारा किया जाएगा -

क्रम	विभाग का नाम	पीठ
1.	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, आवास, पर्याटन,	श्री विपिन चन्द्र, राज्य सूचना आयुक्त
2.	वन एवं पर्यावरण, उच्च शिक्षा, सहकारिता	श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त

उपरोक्तानुसार आर्बाटित विभागों से संबंधित part heard वादों की सुनवाई संबंधित पीठ के द्वारा ही की जाएगी, जिस पीठ के द्वारा पूर्व में सुनवाई की गयी है।

अपरिहार्य कारणवश मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त के अवकाश पर होने/कार्यालय में उपस्थित न होने पर दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों की सुविधा व उनके श्रम व समय के सदुपयोग के दृष्टिगत उस तिथि पर संबंधित पीठ में सुनवाई हेतु नियत वादों को सचिव/उपसचिव के द्वारा अन्य पीठों में नियत वादों की संख्या के अनुरूप सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 01.11.2023 से प्रभावी होगी।


(अनिल चन्द्र पुनेठा)
मुख्य सूचना आयुक्त

पत्रांक

/उ०सू०अ०/2023-24


दिनांक

सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विवेक शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
2. श्री विपिन चन्द्र, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
3. श्री अर्जुन सिंह, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
4. श्री योगेश भट्ट, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
5. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिग रोड, देहरादून, 248008

दूरभाष नं०- 0135-2662021, फ़ैक्स नं०- 0135-2662180

ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: <http://uic.uk.gov.in>

संख्या : /उ.सू.आ./2023-24

दिनांक : .07.2023

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों के मध्य पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 9328/उ0सू0आ0/2022-23 दिनांक 04.01.2022, कार्यालय आदेश संख्या 11229/उ.सू.आ./2022-23 दिनांक 16.02.2023 एवं कार्यालय आदेश संख्या 1437/उ.सू.आ./2022-23 दिनांक 15.05.2023 के द्वारा किये गये कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न विभाग और उनसे सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण उनके सम्मुख कालम 03 में अंकित पीठ के द्वारा किया जाएगा -

क्रम	विभाग का नाम	पीठ
1.	शिक्षा (विद्यालयी एवं माध्यमिक शिक्षा)	श्री विपिन चन्द्र, मा0 राज्य सूचना आयुक्त

उपरोक्तानुसार आवंटित विभागों से संबंधित part heard वादों की सुनवाई संबंधित पीठ के द्वारा ही की जाएगी, जिस पीठ के द्वारा पूर्व में सुनवाई की गयी है।

अपरिहार्य कारणवश मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त के अवकाश पर होने/कार्यालय में उपस्थित न होने पर, दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों की सुविधा व उनके श्रम व समय के सदुपयोग के दृष्टिगत उस तिथि पर संबंधित पीठ में सुनवाई हेतु नियत वादों को सचिव/उपसचिव के द्वारा अन्य पीठों में नियत वादों की संख्या के अनुरूप सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 21.08.2023 से प्रभावी होगी।

anil

(अनिल चन्द्र पुनेठा)

मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक : 31/07.2023

संख्या : 4580/उ.सू.आ./2023-24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विवेक शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
2. श्री विपिन चन्द्र, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
3. श्री अर्जुन सिंह, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
4. श्री योगेश भट्ट, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
5. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Arvind

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)

सचिव



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248008

दूरभाष नं०- 0135-2662021, फ़ैक्स नं०- 0135-2662180

ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: <http://uic.uk.gov.in>

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों के मध्य पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 9328/उ0सूआ0/2022-23 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा किये गये कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न विभाग और उनसे सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण उनके सम्मुख कालम 03 में अंकित पीठ के द्वारा किया जाएगा -

क्रम	विभाग का नाम	पीठ
1.	वन एवं पर्यावरण	मुख्य सूचना आयुक्त
2.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी	श्री विपिन चन्द्र, राज्य सूचना आयुक्त
3.	आवास	श्री अर्जुन सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

उपरोक्तानुसार आवंटित विभागों से संबंधित part heard वादों की सुनवाई संबंधित पीठ के द्वारा ही की जाएगी।

अपरिहार्य कारणवश मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त के अवकाश पर होने/कार्यालय में उपस्थित न होने पर, दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों की सुविधा व उनके श्रम व समय के सदुपयोग के दृष्टिगत उस तिथि पर संबंधित पीठ में सुनवाई हेतु नियत वादों को सचिव/उपसचिव के द्वारा अन्य पीठों में नियत वादों की संख्या के अनुरूप सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 20.02.2023 से प्रभावी होगी।

संख्या : ~~9328~~ 11229/उ.सू.आ./2022-23

Anil 16/2
(अनिल चन्द्र पुनेठा)
मुख्य सूचना आयुक्त
दिनांक : 16.02.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विवेक शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
2. श्री विपिन चन्द्र, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
3. श्री अर्जुन सिंह, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
4. श्री योगेश भट्ट, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
5. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Arvind
(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर-रिंग रोड, देहरादून

कार्यालय आदेश

नवागन्तुक राज्य सूचना आयुक्त श्री योगेश भट्ट के द्वारा दिनांक 21.12.2022 को कार्यभार ग्रहण किये जाने के दृष्टिगत सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के सम्यक संपादन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों के मध्य पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 678 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा किये गये कार्य विभाजन को संशोधित करते हुये निम्नवत् नवीन कार्य विभाजन किया जाता है :-

1. श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलें तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

शहरी विकास पशुपालन सैनिक कल्याण युवा कल्याण	जलोगम-प्रबन्धन मत्स्य पालन नियोजन	घनी उद्योग/गन्ना विकास दुग्ध विकास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
--	---	---

श्री योगेश भट्ट उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में भी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलें तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे।

2. श्री अर्जुन सिंह, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलें तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

सहकारिता सूचना ऊर्जा पिछड़ा वर्ग कल्याण	सिंचाई उद्योग कृषि व कृषि शिक्षा लघु सिंचाई	उच्च शिक्षा पेयजल समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण वित्त
--	--	--

श्री अर्जुन सिंह उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में भी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलें तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे।

3. श्री विपिन चन्द्र, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलें तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

गृह एवं कारागार आबकारी सतर्कता	वन एवं पर्यावरण अभियोजन	सामान्य प्रशासन शिक्षा (विद्यालयी एवं माध्यमिक शिक्षा)
--------------------------------------	----------------------------	---

श्री विपिन चन्द्र उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में भी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलें तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे।

4. श्री विवेक शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

ग्राम्य विकास
पंचायत
नागरिक उड्डयन विभाग
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

परिवहन
लोक निर्माण विभाग
रेशम
चिकित्सा शिक्षा

श्रम एवं सेवायोजन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
ग्रामीण अभियंत्रण

श्री विवेक शर्मा उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में भी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे।

5. मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा निम्नलिखित विभागों व अन्य ऐसे विभाग जिनका किसी को आवंटन नहीं हुआ है तथा उनसे संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण किया जायेगा :


विधान सभा
उच्च न्यायालय
न्याय
सूचना प्रौद्योगिकी
संस्कृत शिक्षा
राज्य पुनर्गठन
आपदा प्रबन्धन
गोपन

श्री राज्यपाल सचिवालय
विधायी संसदीय कार्य एवं भाषा
प्रोटोकॉल
खेलकूद
पर्यटन
संस्कृति
राज्य सम्पत्ति
सचिवालय प्रशासन

मुख्यमंत्री कार्यालय
कार्मिक
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
निर्वाचन
सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
धर्मस्व
२१/१/२५

उपरोक्तानुसार आवंटित विभागों से संबंधित part heard वादों की सुनवाई संबंधित पीठ के द्वारा ही की जाएगी।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 16.01.2023 से प्रभावी होगी।



(अनिल चन्द्र पुनेठा)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : १३२४ / उ.सू.आ. / 2022-23

दिनांक : 4/01/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विवेक शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
2. श्री विपिन चन्द्र, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
3. श्री अजुन सिंह, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
4. श्री योगेश भट्ट, मा. राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
5. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव